

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. एफ 1-3-2012-अठारह-3.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2013 के माध्यम से मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम, इंदौर की सीमा का विस्तार किया गया था. शासन की उक्त अधिसूचना के विरुद्ध श्री अनिल त्रिवेदी एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर में रिट पिटीशन क्रमांक 5196/13 प्रस्तुत की गई. इस याचिका में मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2014 को पारित आदेश का ऑपरेटिव पार्ट निम्नानुसार है:—

“As a result we allow this petition and quash the subsequent notification issued on 25th February 2013 under Section 405(1) of the Act which ought to have been issued under Section 405(3) of the Act. keeping the ground raised by the petitioners in regard to challenge to the first notification dated 17th December 2012 open which can be raised by the petitioners before the Governor/Competent Authority and thereafter before this Court if need so arise.

Needless to say the Competent Authority as enumerated in Section 405(2) of the Act shall consider and decide all the objections including the challenge to notification under Section 405(1) of the Act which have been already raised before taking any decision in the matter.”

2. मा. न्यायालय के उक्त आदेश के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा नगर पालिक निगम, इंदौर की सीमावृद्धि के संबंध में दावे/आपत्तियों की सुनवाई बाबत विधिक कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर, इंदौर को अधिकृत किया गया. कलेक्टर, इंदौर द्वारा जाहिर सूचना दिनांक 6 फरवरी 2014 जो कि स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित की गई, के माध्यम से लिखित आपत्तियां दिनांक 12 फरवरी 2014 तक प्रस्तुत करने एवं प्राप्त आपत्तियों तथा पूर्व में प्राप्त आपत्तियां पर सुनवाई दिनांक 13 फरवरी 2014 को नियत करने संबंधी सूचना प्रकाशित की गई. कलेक्टर द्वारा प्राप्त दावे/आपत्तियों की सुनवाई 13 फरवरी 2014 को की गई तथा प्रत्येक दावे/आपत्ति के संबंध में अपना अभिमत शासन को विचार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया. उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम, इंदौर की सीमावृद्धि हेतु कलेक्टर, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 405(1) के अंतर्गत राजपत्र में

दिनांक 17 फरवरी 2012 को प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गई, तथा धारा 405(2) के अंतर्गत इन पर दावे/आपत्तियां प्राप्त की जाकर दावे/आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् अभिमत शासन को प्रेषित किया गया था. मान. न्यायालय द्वारा अंतिम अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2013 को निरस्त करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना को Open रखा.

3. कलेक्टर, इंदौर द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2012 को प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में 52 दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई थीं तथा बाद में दिनांक 6 फरवरी 2014 को प्रकाशित जाहिर सूचना के क्रम में 32 दावे/आपत्तियां, जिनमें पूर्व में प्राप्त आपत्तियों में से कुछ की पुनरावृत्ति हुई है, प्राप्त हुई है. कलेक्टर द्वारा इन आपत्तियों को सुना जाकर अपना अभिमत शासन को प्रेषित किया गया.

4. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, इंदौर को प्राप्त 52+32=84 दावे/आपत्तियों तथा उनके द्वारा दिये गये अभिमत पर पूर्ण रूप से विचार किया गया. इंदौर नगर, एक महानगर के रूप में विकसित हो रहा है, यहां के निवासियों को आवास, सड़क, बिजली पानी आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा नगर के सुनियोजित विकास के लिए इस नगर की सीमा का विस्तार किया जाना जनहित में अति आवश्यक है, अन्यथा इंदौर नगर एक मलिन बस्ती का रूप ले लेगा.

5. अतः इंदौर नगर के सुनियोजित विकास तथा यहां के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा कलेक्टर, इंदौर के अभिमत के प्रकाश में प्राप्त दावे/आपत्तियां स्थिर रखने योग्य नहीं हैं.

6. अतः मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूचियों में यथा उल्लेखित क्षेत्र को नगर पालिक निगम, इंदौर की सीमाओं में सम्मिलित करता है, अर्थात्:—

### अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, इंदौर की सीमाओं में शामिल किये गये क्षेत्र (ग्राम पंचायतें एवं ग्राम) निम्नानुसार है:—

अ.क्र. (1)	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत (2)	शामिल किये जाने वाले ग्राम (3)	तहसील (4)	शामिल किये जाने वाले क्षेत्र (5)
1	निपानिया	निपानिया एवं पिपल्याकुमार	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
2	कनाड़िया	कनाड़िया एवं टिगरिया राव	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
3	बिचौली हप्पी	बिचौली हप्पी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
4	बिचौली मर्दाना	बिचौली मर्दाना	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
5	मुंडला नायता	मुंडला नायता	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
6	पलदा	पलदा	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
7	लिंबोदी	लिंबोदी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
8	बिलावली	बिलावली एवं फतनखेड़ी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
9	कैलोद करताल	कैलोद करताल	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
10	निहालपुरा मुंडी	निहालपुरा मुंडी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
11	हुकमाखेड़ी	हुकमाखेड़ी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
12	सुखनिवास	सुखनिवास	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
13	अहीरखेड़ी	अहीरखेड़ी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
14	छोटा बांगड़दा	छोटा बांगड़दा	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	टिगरिया बादशाह	टिगरिया बादशाह	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
16	रेवती	रेवती एवं बरदरी	सांवेर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
17	भौरासला	भौरासला	सांवेर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
18	कुमेडी	कुमेडी	सांवेर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
19	भानगढ़	भानगढ़ एवं शकरखेड़ी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
20	तलावली चांदा	तलावली चांदा	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
21	अरण्डिया	अरण्डिया एवं मयाखेड़ी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
22	लसुडिया मोरी	लसुडिया मोरी	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा
23	बड़ा बांगड़दा	बड़ा बांगड़दा	इन्दौर	ग्राम की सम्पूर्ण सीमा

### अनुसूची-2

अनुसूची-1 में दर्शाये गये क्षेत्र सहित नगर पालिक निगम, इन्दौर की संशोधित सीमा अधिसूचना प्रकाश उपरांत निम्नानुसार होगी:—

**उत्तर की ओर**—ग्राम जाख्याए मगरखेड़ा, बोल्याखेड़ी, भाग्या.

**दक्षिण की ओर**—राऊ, माचल, मोरोद, रालामंडल.

**पूर्व की ओर**—झलारिया, आम्बामोलाए बडिया कीमा, देव गुराडिया, दुधिया.

**पश्चिम की ओर**—जम्बुड़ी हप्पी, नैनोद, बांक, नावदापंथ, सिंदोडा, पालाखेड़ी, बढानिया, लिम्बोढानारी.

No. F 1-3-2012-XVIII-3.—Territorial limits of Municipal Corporation Indore had been extended vide Gazette Notification (extraordinary) dated 5th February 2013. This Notification was challenged by Shri Anil Trivedi and others in the bench of Hon'ble High Court Indore, vide Writ Petition No. 5196/30. The operative part of the order passed by Hon'ble Court dated 3rd February 2014 is as under:—

“As a result we allow this petition and quash the subsequent notification issued on 25th February 2013 under Section 405(1) of the Act which ought to have been issued under Section 405(3) of the Act. keeping the ground raised by the petitioners in regard to challenge to the first notification dated 17th December 2012 open which can be raised by the petitioners before the Governor/Competent Authority and thereafter before this Court if need so arise.

Needless to say the Competent Authority as enumerated in Section 405(2) of the Act shall consider and decide all the objections including the challenge to notification under Section 405(1) of the Act which have been already raised before taking any decision in the matter.”

2. In the light of Honourable Court's order, the State Government authorized the Collector Indore to hear claims/objections regarding extension in the territorial limits of Municipal Corporation Indore. The Collector Indore, vide public notice dated 6th February 2014 invited written claims/objections by 12th February 2014 which also included 52 claims/objections received earlier. Public Notice was given by the Collector Indore for public hearing on 13th February 2014. The Collector heard all claims/objections in the hearing and forwarded the same to the State Government along with his opinion. It is pertinent to mention that, the Collector Indore has already issued preliminary notification on 17th February 2012 under section 405(1) and claims/objections have been received under section 405 (2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956. The Honourable Court has quashed the final notification dated 05th February 2013 by keeping the preliminary notification open.

3. Subsequent to the Notification, the Collector Indore received 52 claims during public hearing in response to the notice dated 17th February 2012 and 32 claims/objections had been received in response to the public notice dated 6th February 2014; some of which being repetitive in nature. The Collector heard all these claims/objections and forwarded his opinion to the State Government.

4. The State Government considered all 52+32=84 claims/objections received by the Collector and his opinion. Indore is developing as a metropolitan city and in order to provide basic amenities like housing, roads, electricity, water etc. to the residents, expansion in limits of the city has become imminent in the public interest; else the city will transform itself into a slum.

5. Therefore, for the planned development of the Indore, city and to provide basic services to the residents of Indore, and in view of the opinion of Collector Indore; the claims/objections are not maintainable.

6. Accordingly, exercising the powers conferred under Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), clause 405(3); the Governor of Madhya Pradesh hereby includes the area as mentioned in schedules below in the territorial limits of the Municipal Corporation of Indore. *i.e.*—

#### SCHEDULE- 1

The areas (Gram Panchayats & Villages) included in the Municipal Corporation, Indore are as follows:—

S.No.	Name of Gram Panchayat to be included	Name(s) of villages to be included	District	Area to be included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nipaniya	Nipaniya & Pipliya Kumar	Indore	Whole area of Village
2	Kanariya	Kanariya & Tigriya Rao	Indore	Whole area of Village
3	Bicholi Hapsi	Bicholi Hapsi	Indore	Whole area of Village
4	Bicholi Mardana	Bicholi Mardana	Indore	Whole area of Village
5	Mundla Nayta	Mundla Nayta	Indore	Whole area of Village
6	Palda	Palda	Indore	Whole area of Village
7	Limbodi	Limbodi	Indore	Whole area of Village
8	Bilavali	Bilavali & Phatankheri	Indore	Whole area of Village
9	Kailod Kartal	Kailod Kartal	Indore	Whole area of Village
10	Nihalpura Mundi	Nihalpura Mundi	Indore	Whole area of Village
11	Hukmakheri	Hukmakheri	Indore	Whole area of Village
12	Sukhnivas	Sukhnivas	Indore	Whole area of Village
13	Aahirkheri	Aahirkheri	Indore	Whole area of Village
14	Chota Bangarda	Chota Bangarda	Indore	Whole area of Village
15	Tigriya Badshah	Tigriya Badshah	Indore	Whole area of Village
16	Revati	Revati & Bardari	Sanver	Whole area of Village
17	Bhourasla	Bhourasla	Sanver	Whole area of Village
18	Kumerdi	Kumerdi	Sanver	Whole area of Village
19	Bhangarh	Bhangarh & Shakarkheri	Indore	Whole area of Village
20	Talawali Chanda	Talawali Chanda	Indore	Whole area of Village
21	Aarandiya	Aarandiya & Mayakheri	Indore	Whole area of Village
22	Lasuriya Mori	Lasuriya Mori	Indore	Whole area of Village
23	Bara Bangarda	Bara Bangarda	Indore	Whole area of Village

SCHEDULE - 2

Subsequent to the Gazette Notification, the modified limits of Municipal Corporation of Indore including the areas shown in Schedule-1 will be as under:—

**Towards North**—Jakhya, Magarkhera, Bolyakheri, Bhagya.

**Towards South**—Rau, Machal, Morod, Ralamandal.

**Towards East**—Jhalariya, Aambamola, Bariya Keema, Dev Guradiya, Dudhiya.

**Towards West**—Jamburi Hapsi, Nainod, Baank, Navdapanth, Sindora, Palakheri, Barhaniya, Limbodhanari.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.